

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E_mail- ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax - 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ M-491

दुर्ग,दिनांक: 21/03/2017

प्रति,

वनमंडलाधिकारी

रायगढ़ वनमंडल, रायगढ़

विषय :- Submission of Proposal for Diversion of Forest Land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 Proposed for construction of 765 KV Double circuit Jharsuguda (Sundergarh) - Raipur Pool Transmission Line, area-71.761 ha-regarding.Red.No. FP/CG/TRANS/21354/2016

संदर्भ :- व.मं.अ. दुर्ग वनमंडल दुर्ग का पत्र क्रमांक/मा.चि./1385 दि. 21.03.2017.

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से वनमंडलाधिकारी दुर्ग ने ओडिशा जेनेरेशन फेज - II ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 765 के.व्ही/डी/सी झारसुगुड़ा (सुन्दरगढ़)- रायपुर विद्युत पारेषण लाईन से वनमंडल के प्रभावित राजस्व वन क्षेत्र 1.970 हे. ग्राम आनंदगांव (ग्राम वन वृक्षा रोपण वर्ष 2013) तहसील बेरला परिक्षेत्र साजा से संबंधित वन भूमि व्यापवर्तन प्रस्ताव नवीन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में नोडल अधिकारी होने के कारण उक्त प्राप्त प्रस्ताव मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग,दिनांक: 21/03/2017

पृ.क्र./मा.चि./ M-492

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी दुर्ग वनमंडल दुर्ग को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. ओडिशा जेनेरेशन फेज - II ट्रांसमिशन लिमिटेड प्रोजेक्ट कार्यालय हाऊस नं. बी 01/03 फेज 2 सूर्या विहार जूनवानी भिलाई की ओर सूचनार्थ प्रेषित। वर्तमान में किसी भी प्रकार के कार्य की अनुमति नहीं है।

मुख्य वन संरक्षक

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

21/3/17

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान - 765 के.व्ही. डबल सर्किट झारसुगुडा(सुन्दरगढ़)
रायपुर विद्युत पारेषण लाईन

- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - छत्तीसगढ़
(ii) जिला - दुर्ग
(iii) वन प्रभाग - दुर्ग
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)- 1.970 हैं.
(v) वन की कानूनी स्थिति

राजस्व वन क्षेत्र (ग्राम वन वृक्षारोपण ,आनंदगॉव, वर्ष-2013)

- (vi) हरियाली का घनत्व

हरियाली का घनत्व 0.1 से 0.2 है। जिसका औसत घनत्व 0.2 है।

- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ. आर.एल.-2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी.भी संलग्न की जाए।

प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु परिधिवार,प्रजातिवार,वृक्षों की परिगणना संलग्न है।

- (viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

आवेदित वन भूमि मृदा वग्रीकरण कठोर लाल मिट्टी है, क्षेत्र की भौगोलिक संरचना समतल है तथा भू-क्षरण से संवेदनशील नहीं है।

- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।

क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण बिलासपुर वनमण्डल के अन्तर्गत नांरगी वन क्षेत्र में लिया गया है।

216

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।

(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)

आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, हाथी कारीडोर, आदि के अन्तर्गत का वन क्षेत्र नहीं है।

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

प्रजाति			स्थिति		
क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट
1.	निरंक	थनरंक	थनरंक	निरंक	थनरंक

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

आवेदित क्षेत्र तथा उसके आस-पास में सरंक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है। प्रमाण पत्र (संलग्न है।)

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।

765 के.व्ही. डबल सर्किट झारसुगुडा(सुन्दरगढ) -रायपुर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण के लिए प्रभावित वन भूमि 71.761 हे. अपरिहार्य और न्यूनतम है। विकल्पों पर तुलनात्मक विवरण (संलग्न है।)

2/2

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य चल रहे हैं।

कोई उल्लंघन का कार्य नहीं किया गया है।

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

बिलासपुर वनमण्डल के अंतर्गत नारंगी वन क्षेत्र में 144.181 हे० प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम लिया गया है।

संलग्न है।

- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

प्रतिपूरक वनीकरण नारंगी वन क्षेत्र में निम्नानुसार लिया गया है।

क्रं	वन परिक्षेत्र	नारंगी वन खण्ड का नाम	कुल रकबा (हे०)	क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित रकबा (हे०)
1	रतनपुर	सीष(अ)	13.990	8.000
		सीष(ब)	10.138	10.138
		जाजीराडीह	44.373	23.000
		आमामुडा	49.750	20.000
		कलमीटार	40.043	40.043
		घासीपुर	60.377	43.000
		योग	218.671	144.181

- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

संलग्न है।

- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

दस वर्षीय सिंचित प्रतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न है। योजना पर वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक कुल रुपये 8,65,40,902.00 का व्यय अनुमानित है। योजनान्तर्गत मुख्यतः सागौन प्रजातियों के पौधे रोपित किये जावेंगे। कार्य वन विभाग द्वारा किया वनपरिक्षेत्र अधिकारी रतनपुर (सामान्य) के द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

8,65,40,902.00 /— संलग्न है।

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।)

संलग्न है।

11. उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 एवं 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)

उप वन संरक्षक दुर्ग वनमण्डल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 4.2.17 संलग्न है।

12. विभाग/जिला प्रोफाईल

(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

बेमेतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्र = 2854.81 वर्ग कि.मी. है।

(ii) जिले का वन क्षेत्र

दुर्ग जिले का वन क्षेत्र = 248.59 वर्ग कि.मी. है।

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।

—निरंक—

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।

—निरंक—

(ख) वनेत्तर भूमि पर।

—निरंक—

(V) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:

(क) वन भूमि — —निरंक—

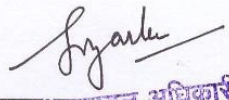
(ख) वनेत्तर भूमि पर — —निरंक—

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।
प्रस्ताव अस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।
.....
.....
.....
.....
.....

दिनांक: 20/3/17

स्थान: 35


हस्ताक्षरमण्डल अधिकारी
दुर्ग (छ.प्र.)

नाम प्रियंका पाठक
(सरकारी मोहर)